संख्या- 3326 /77-6-18-08(एम)/2012टीसी 8(कैबिनेट)

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3- समस्त सम्बंधित विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 9 अगस्त, 2018

विषय:सिंगल विण्डो पोर्टल को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1488/77-6-18-08(एम)/2012टीसी-8(कैबिनेट), दिनांक 09-04-2018 में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सर्वोत्तम समयबद्ध मानदण्डों के अनुरुप स्वीकृति/सुविधा सेवाएं ससमय सुनिश्चित करने एवं निवेशपरक वातावरण बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी औद्योगिक सेवाओं/ स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेंस को ऑनलाइन तथा एक स्रोत से प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बन्धु में एक सशक्त ऑनलाइन सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र विकसित किया गया है।

2- इस नवनिर्मित वेब पोर्टल के अन्तर्गत सर्वनिष्ठ आवेदन प्रारूप के माध्यम से विभागीय अनुमतियों, अनापत्तियों, पंजीयन, लाइसेन्स आदि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया गया है।

3- यह देखने में आया है कि वेब पोर्टल के संचालन हेतु जारी दिशा निर्देशों का सम्यक रूप से, विशेष तौर पर विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से प्रस्तर-6.3 से लेकर 6.6 तक का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

4- इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे :- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस'वे, एवं यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम) द्वारा भू-आवंटन के लिए निर्धारित शुल्क में समेकित करके आवेदन-पत्र शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा प्रोसेसिंग शुल्क के साथ भूमि का मूल्य भी ऑन-लाइन जमा कराने का प्राविधान है।

तत्क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रावधान किये जाते है:-

1- आन लाइन भुगतान की प्रक्रिया में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा भू-आवंटन हेतु लिए जाने वाले शुल्क में केवल आवेदन शुल्क ही निवेश मित्र के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। शेष सभी शुल्क जैसे- पंजीयन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, भूमि मूल्य आदि प्राधिकरण स्तर पर जमा किये जायेंगे। इस हेतु एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा निवेश मित्र सॉफ्टवेयर में इसका प्रावधान शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाय।

2- विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने यूजर आई.डी. पासवर्ड को प्रयोग करते हुए फार्म को पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के उपरान्त यदि किसी बिन्दु पर कमियां पाई जाती है तो उन कमियों से उद्यमी को पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर अधिकतम 01 (एक बार) रिव्यू हेतु भेजा जाएगा। विभाग का नोडल अधिकारी रिव्यू के साथ अपनी टिप्पणी भी भेज सकता है। इसकी जानकारी उद्यमी को ई-मेल व एस.एम.एस. के माध्यम से स्वतः उपलब्ध हो जायेगी, साथ ही उद्यमी को उसके लागिन आई.डी. में स्थित डैश बोर्ड पर भी यह सूचना प्रदर्शित होगी।

3- उद्यमी को रिव्यू हेतु फार्म में मार्क बिन्दुओं पर सही एवं पूर्ण सूचना भरकर फार्म को 07 दिन के अन्दर पुनः उपलब्ध करना होगा। यदि उद्यमी 07 दिन के अन्दर फार्म में मागी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को फार्म पर अग्रेतर कार्यवाही करने की स्वविवेक छूट होगी।

4- यदि पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर विभाग द्वारा उद्यमी को रिव्यू हेतु फार्म नहीं भेजा जाता है तो यह स्वतः माना जायेगा कि उद्यमी द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र में कोई कमी नहीं पाई गयी हैं।

5- विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी की गई अनुमति/अनापत्ति/लाइसेन्स की प्रति आन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल पर विभाग के राज्य/जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा उद्यमी के द्वारा भरे गये फार्म के नीचे दिये गये approve बटन पर क्लिक करने के उपरान्त Digitally Signed NOC स्वतः निर्गत हो जाएगी। किसी विभाग द्वारा NOC की स्कैन कापी अपलोड नहीं की जाएगी। जिन विभागों में यह व्यवस्था वर्तमान में नही है वे शीर्ष प्राथमिकता पर इस व्यवस्था को 07कार्य दिवस पूर्ण करेंगे।

6- सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित समस्त व्यवस्थाओं को तत्काल अपने अपने विभागीय पोंटलों में सम्मिलित कर लिया जाये तथा विभाग द्वारा जो भी पृच्छा उद्यमी से की जाती है उनका सघन अनुश्रवण विभाग द्वारा अपने स्तर पर करना सुनिश्चित किया जाए।

7- सभी सम्बन्धित विभाग दिनांक 01 जुलाई 2018 से केवल सिंगल विन्डो पोर्टल-निवेश मित्र के माध्यम से ही समस्त औद्योगिक स्वीकृति, अनापत्ति, अनुमति इत्यादि के आवेदन लेंगे । इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय आदेश/परिपत्र शीघ् जारी कराते हुए, औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0 शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

8- इस संबंध में समय समय पर निर्गत संगत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करानें का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या- 3326 (1)/77-6-18-08(एम)/2012टी.सी..8(कैबिनेट) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव उ.प्र. शासन।
(2) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उ.प्र. शासन।
(3) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
(4) प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ.प्र. शासन।
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
(6) अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु।
(7) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर।
(8) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एव द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
(9) औद्योगिक विकास विभाग एवं लघु उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निगम/प्रधिकरण/अनुभाग।
(10) निदेशक, राष्टीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) लखनऊ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।